

माननीय न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी के समक्ष

लाल चंद दलाल--याचिकाकर्ता  
बनाम  
हरियाणा राज्य और अन्य --प्रतिवादी  
सी.डब्ल्यू.पी. न. - 1995 का 9253  
11 दिसंबर 2002

भारत का संविधान, 1950-कला. 226-पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग 1-R1.3.26(d), खंड II RI.5.32-A(e)-जेल अधीक्षक की सेवानिवृत्ति से डेढ़ साल पहले समयपूर्व सेवानिवृत्ति-सेवा रिकॉर्ड याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से पहले के दस साल लगभग अच्छे रहे - लगभग तीन महीने की छोटी अवधि के लिए बिना किसी सामग्री के उपायुक्त द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं - राज्य सरकार। टिप्पणियों को हटाने के लिए अभ्यावेदन को अस्वीकार करना एक गंभीर अवैध कार्य है - राय बनाने के लिए अधिकारी समिति के समक्ष कोई ठोस सामग्री नहीं है। याचिकाकर्ता की सेवा में बने रहना सार्वजनिक हित में नहीं था या उसकी सेवानिवृत्ति को उचित ठहराने के लिए उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई थी - अवैध होने के कारण आक्षेपित आदेश रद्द किए जा सकते हैं।

माना गया कि याचिकाकर्ता की समय से पहले सेवानिवृत्ति अमान्य होने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 5.32-ए (सी) और पंजाब सिविल के नियम 3.26 (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग किया गया है। सेवा नियम, खंड I, भाग I मनमानी और पूरी तरह से दिमाग का उपयोग न करने से दूषित है।

(पैरा 21)

इसके अलावा, यह माना गया कि कर्मचारी एक दिन या कुछ दिनों या महीने में अच्छी या बुरी प्रतिष्ठा अर्जित नहीं करता है। ईमानदारी (अच्छी या बुरी) की प्रतिष्ठा काफी लंबे समय तक कर्तव्यों का पालन करने के बाद अर्जित की जाती है और जिस कर्मचारी को 10 वर्षों तक ईमानदार और कुशल माना जाता है, वह रातोंरात बेईमान नहीं हो सकता। इसलिए, किसी कर्मचारी की सत्यनिष्ठा पर संदेह जताते हुए प्रविष्टि दर्ज करते समय, नियोक्ता/संबंधित अधिकारी को उसके सामने उपलब्ध सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और ऐसी प्रविष्टि केवल तभी दर्ज करनी चाहिए जब वह बिना किसी संदेह के आश्वस्त हो कि एक अन्यथा ईमानदार कर्मचारी अचानक बेईमान हो गया है।

(पैरा 21)

## याचिकाकर्ता के वकील अरुण जैन

प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा, जसवन्त सिंह

### निर्णय

न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी,

(1) बेकार पड़ी लकड़ी को काटना और केवल उन्हीं कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखना, जो कुशल और ईमानदार हैं, वैधानिक प्रावधानों और कार्यकारी निर्देशों के तहत प्राथमिक उद्देश्य है जो सक्षम अधिकारियों को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने में सक्षम बनाता है। न्यायालयों ने आम तौर पर किसी कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करने के सरकार के अधिकार को बरकरार रखा है और इस तथ्य को भी मान्यता दी है कि ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा अत्यंत सीमित है-श्याम लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य<sup>1</sup>, भारत संघ बनाम कर्नल जे.एन. सिन्हा<sup>2</sup>, एम.ई. रेड्डी बनाम भारत संघ<sup>3</sup>, बैकुंठ नाथ दास बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा<sup>4</sup>, विश्वनाथ प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य<sup>5</sup>, गुजरात राज्य बनाम उमेदभाई एम. पटेल<sup>6</sup>, और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम विजय कुमार जैन<sup>7</sup>, बैकुंठ नाथ दास बनाम मुख्य जिला चिकित्सा, अधिकारी, बारीपदा (सुप्रा) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विषय पर विभिन्न न्यायिक उदाहरणों का उल्लेख किया और निम्नलिखित प्रस्तावों को खारिज कर दिया: -

"(i) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कोई सजा नहीं है। इसका कोई कलंक या दुर्व्यवहार का कोई संकेत नहीं है।

(ii) यह राय बनने पर कि किसी सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना जनहित में है, सरकार द्वारा आदेश पारित किया जाना चाहिए। यह आदेश सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया गया है।

(iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायिक जांच को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। हालांकि उच्च

<sup>1</sup> एआईआर 1954 एससी 369

<sup>2</sup> एआईआर 1971 एससी 40

<sup>3</sup> एआईआर 1980 एससी 563

<sup>4</sup> 1992(2) एससीसी 299

<sup>5</sup> 2001(2) एससीसी 305

<sup>6</sup> एआईआर 2001 एससी 1109

<sup>7</sup> 2002(3) एससीसी 641

न्यायालय या यह न्यायालय अपीलीय अदालत के रूप में मामले की जांच नहीं करेगा, वे हस्तक्षेप कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट हैं कि आदेश पारित किया गया है (ए) दुर्भावनापूर्ण है, या (बी) यह इस अर्थ में मनमाना है कि इसका कोई कारण नहीं है व्यक्ति जीआई पर अपेक्षित राय बनाएगा संक्षेप में सामग्री: यदि यह विकृत क्रम पाया जाता है

(iv) सरकार (या समीक्षा समिति जैसा भी हो) को रिकॉर्ड और प्रदर्शन को अधिक महत्व देने के मामले में निर्णय लेने से पहले संपूर्ण रिकॉर्ड सेवा पर विचार करना होगा। बाद के वर्षों के दौरान, ऐसा माना जाने वाला रिकॉर्ड, गोपनीय अभिलेखों/चरित्र पंजियों में स्वाभाविक रूप से अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की प्रविष्टियाँ शामिल होंगी। यदि सरकारी कर्मचारी को प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो ऐसी टिप्पणियों का महत्व खत्म हो जाता है, खासकर तब जब पदोन्नति योग्यता (चयन) पर आधारित हो, न कि वरिष्ठता पर।

(v) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश केवल यह दिखाने पर न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है कि इसे पारित करते समय, असंसूचित प्रतिकूल टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा गया था। वह परिस्थिति अपने आप में हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकती।"

(3) गुजरात राज्य बनाम उमेदभाई एम.पटेल, (सुप्रा) मामले में, सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर केस कानून की समीक्षा की और निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए:--

(1) जब भी किसी लोक सेवक की सेवाएँ सामान्य प्रशासन के लिए उपयोगी नहीं रह जाती हैं, तो उसे सार्वजनिक हित के लिए अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

(2) आमतौर पर, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत आने वाली सजा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

(3) बेहतर प्रशासन के लिए बेकार पड़ी लकड़ी को काटना जरूरी है, लेकिन अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अधिकारी के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर ही पारित किया जा सकता है।

(4) गोपनीय रिकॉर्ड में की गई किसी भी प्रतिकूल प्रविष्टि पर ध्यान दिया जाएगा और ऐसे आदेश पारित करने में उसे उचित महत्व दिया जाएगा।

(5) गोपनीय रिकार्ड में असंसूचित प्रविष्टियों पर भी विचार किया जा सकता है।

(6) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश विभागीय जांच से बचने के लिए एक शॉर्टकट के रूप में पारित नहीं किया जाएगा जब ऐसा कोर्स अधिक वांछनीय हो।

7) यदि गोपनीय रिकॉर्ड में प्रतिकूल प्रविष्टियों के बावजूद अधिकारी को पदोन्नति दी गई, तो यह अधिकारी के पक्ष में एक तथ्य है।

(8) अनिवार्य सेवानिवृत्ति को दंडात्मक उपाय के रूप में नहीं लगाया जाएगा।"

(4) विजय कुमार जैन बनाम यूपी राज्य (सुप्रा), में सुप्रीम कोर्ट ने एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के नियोक्ता के अधिकार के दायरे और दायरे पर विचार किया और निम्नानुसार देखा: -

यदि किसी सरकारी कर्मचारी का आचरण सार्वजनिक हित के लिए अशोभनीय हो जाता है या सार्वजनिक सेवाओं में दक्षता में बाधा डालता है, तो सरकार को स्पष्टीकरण (2) के साथ पठित एफआर 56 (सी) के तहत ऐसे कर्मचारी को सार्वजनिक हित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है। किसी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का सरकार का अधिकार सार्वजनिक सेवा में दक्षता सुनिश्चित करने का एक तरीका है और ऐसा करते समय सरकार मौलिक नियम 56 के तहत बाद की प्रविष्टियों पर जोर देने के साथ पूरे सेवा रिकॉर्ड, चरित्र रोल या गोपनीय रिपोर्ट को ध्यान में रखने की हकदार है। वास्तव में, संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड, चरित्र पंजिका या गोपनीय रिपोर्ट यह पता लगाने के लिए सामग्री प्रस्तुत करती है कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी ने सेवा में अपनी उपयोगिता समाप्त कर ली है। चरित्र पंजिका में बाद की प्रविष्टियों पर जोर देने के साथ सामग्रियों की समग्रता पर विचार करने के बाद ही सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी राय बनाएगी कि किसी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए या नहीं।

(5) बिश्वनाथ प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सजा के माध्यम से अनिवार्य सेवानिवृत्ति और सार्वजनिक हित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बीच के अंतर को निम्नलिखित शब्दों में उजागर किया: -

"सेवा न्यायशास्त्र में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दो अर्थ हैं। विभिन्न अनुशासनात्मक नियमों के तहत, अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुशासनात्मक कार्यवाही में दर्ज अपराध की खोज के परिणामस्वरूप एक दोषी सरकारी कर्मचारी पर लगाए गए दंडों में से एक है। ऐसे दंड में कलंक शामिल है और प्रासंगिक नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप इसे लागू नहीं किया जा सकता है यदि ऐसा दंड देने का क्षेत्र किसी भी नियम के अंतर्गत नहीं आता है। सरकारी कर्मचारी के मामले में ऐसी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को संविधान के अनुच्छेद 311 की जांच का भी सामना करना होगा। फिर सेवा नियम हैं, जैसे कि मौलिक नियमों के मौलिक नियम 56(1), जो सरकार या उपयुक्त प्राधिकारी को प्रदान करते हैं। एक सरकारी कर्मचारी को एक विशेष आयु प्राप्त करने पर या एक निश्चित संख्या में वर्षों की सेवा पूरी करने पर यह राय बनने पर कि सार्वजनिक हित में उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना आवश्यक है, सेवानिवृत्त करने का पूर्ण (लेकिन मनमाना

नहीं) अधिकार। उस मामले में, यह न तो कोई सजा है और न ही सेवानिवृत्ति लाभ के नुकसान के साथ जुर्माना है। सेवा नियमों के तहत जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति समय से पहले सेवानिवृत्ति के समान है। इससे कोई कलंक नहीं लगता। सरकारी कर्मचारी वास्तव में अर्जित पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार होगा। जब तक जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश का आधार बनी राय प्रामाणिक है, तब तक न्यायिक मंच द्वारा आम तौर पर राय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस तरह के आदेश की बहुत ही सीमित आधारों पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जैसे कि आदेश दुर्भावनापूर्ण है, बिना किसी सामग्री के या संपार्श्विक आधार पर या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो ऐसा करने में सक्षम नहीं है। ऐसी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का उद्देश्य उन निकम्मे लोगों को बाहर निकालना है जो प्रशासन के लिए अपनी उपयोगिता खो चुके हैं।" (रेखांकित करना मेरा है)।

(6) दया नंद बनाम हरियाणा राज्य<sup>8</sup> इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने पंजाब सिविल सेवा नियमावली के नियम 5.32-ए(सी), खंड II और पंजाब सिविल सेवा नियमावली के नियम 3.26(डी) की व्याख्या की। खंड I, भाग I, जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है और जिसे राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को समय से पहले सेवानिवृत्त करने के लिए लागू किया गया है और निम्नानुसार आयोजित किया गया है- "के.के. वैद के मामले में डिवीजन बेंच का दृष्टिकोण कि 1983 के उपरोक्त निर्देश नियम 3.26 (ए) के अक्षरशः और भावना के विरुद्ध थे जैसा कि पैरा 9 में उल्लिखित है। नियम 3.26 (ए) या (डी) में अंतर्निहित मृत लकड़ी को हटाने की अवधारणा अंतर्निहित है, लेकिन आदेश पारित करने के लिए यह एकमात्र आधार उपलब्ध नहीं है। इसे जे.एन. में उल्लिखित अन्य आधारों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सिन्हा का मामला और बैकुंठ नाथ का मामला यानी इन नियमों का उद्देश्य राज्य सेवाओं में दक्षता और पहल के उच्च मानक को बनाए रखना भी है। राज्य सेवाओं के कामकाज में समर्पण और गतिशीलता की भावना होनी चाहिए। जो अधिकारी सुस्त, भ्रष्ट, अकुशल हैं या अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं और जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, उन्हें बाहर कर देना चाहिए। इस प्रकार यह व्यक्त किया गया दृष्टिकोण कि नियम 3.26 केवल मृत लकड़ी को काटने के लिए आकर्षित होगा, सही नहीं है। विचार करने के लिए विभिन्न कारण हो सकते हैं, जो सार्वजनिक हित का गठन करेगा कि नियम 3.26 (डी) के तहत आवश्यक आदेश पारित किया जा सकता है जैसा कि ऊपर संक्षेप में बताया गया है।

(7) पूर्ण पीठ ने के.के. वैद बनाम हरियाणा राज्य<sup>9</sup> में डिवीजन बेंच के फैसले को भी खारिज कर दिया,

(9) जिसने हरियाणा सरकार द्वारा 70% से कम या कम अंक पाने वालों की सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाले निर्देशों को रद्द कर दिया था। ऊपर। निम्नलिखित टिप्पणियों को दर्ज करके पिछले 10 वर्षों में अच्छा रिकॉर्ड -

<sup>8</sup> 1995(1) एसएलआर 57

<sup>9</sup> 1990(1) आरएसजे 193

"के.के. वैद के मामले में डिवीजन बेंच का दृष्टिकोण कि 1983 के उपरोक्त निर्देश नियम 3.26 (ए) के अक्षरशः और भावना के खिलाफ थे, जैसा कि फैसले के पैरा 9 में उल्लिखित है, अच्छे कानून को निर्धारित करने के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। की अवधारणा नियम 3.26 (ए) या (डी) में निहित मृत लकड़ी को छांटना अंतर्निहित है, लेकिन आदेश पारित करने के लिए यह एकमात्र आधार उपलब्ध नहीं है। इसे जे.एन. सिन्हा के मामले और बैकुंठ में उल्लिखित अन्य आधारों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। नाथ के मामले में यानी इन नियमों का उद्देश्य राज्य सेवाओं में दक्षता और पहल के उच्च मानक को बनाए रखना है। राज्य सेवाओं के कामकाज में समर्पण और गतिशीलता की भावना होनी चाहिए। जो अधिकारी सुस्त, भ्रष्ट, अक्षम हैं या ऊपर नहीं हैं निशान तक और जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, उन्हें छांटना चाहिए”

इस प्रकार यह व्यक्त किया गया दृष्टिकोण कि नियम 3.26 केवल मृत लकड़ी को काटने के लिए आकर्षित होगा, सही नहीं है। विचार करने के लिए विभिन्न कारण हो सकते हैं, जो सार्वजनिक हित का गठन करेगा कि नियम 3.26 (डी) के तहत आवश्यक आदेश पारित किया जा सकता है जैसा कि ऊपर संक्षेप में बताया गया है। XX XX XX XX XX XX XX XX इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि के.के. वैद के मामले में निर्णय अच्छे कानून और जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है। 13 अगस्त, 1983 को राज्य द्वारा अधिकारियों/अधिकारियों को 55 वर्ष की आयु से अधिक का विस्तार इस शर्त के साथ दिया जाएगा कि पिछले दस वर्षों की 70% से अधिक गोपनीय रिपोर्टें अच्छी हों, नियम 3.26 के विपरीत न हों( नियमों के ए) या (डी), जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

(8) गुजरात राज्य बनाम सूर्यकांत चुन्नी लाल शाह<sup>10</sup>, में, सुप्रीम कोर्ट ने समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और निम्नानुसार कहा: - "सार्वजनिक प्रशासन के संबंध में सार्वजनिक हित का अर्थ है कि केवल ईमानदार और कुशल व्यक्तियों को सेवा में रखा जाना चाहिए, जबकि बेईमान या भ्रष्ट या जो लगभग बेकार हो चुके हैं, उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी ने अपनी उपयोगिता पूरी कर ली है और उसे कुशल प्रशासन बनाए रखने के लिए सार्वजनिक हित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना है, उस सरकारी कर्मचारी के समग्र प्रदर्शन का एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण लेना होगा। एक सरकारी कर्मचारी का प्रदर्शन उसकी वार्षिक चरित्र सूची में परिलक्षित होता है और इसलिए, एक सरकारी कर्मचारी की कार्यकुशलता, ईमानदारी या सत्यनिष्ठा को पहचानने का एक तरीका यह है कि उसके कार्यकाल की शुरुआत से लेकर उस तिथि तक पूरे कार्यकाल की चरित्र सूची देखी जाए। उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का फैसला लिया गया है। यदि चरित्र पंजिका में कर्मचारी के समग्र वर्गीकरण की प्रतिकूल प्रविष्टियाँ खराब हैं और उसकी सत्यनिष्ठा पर संदेह करने की सामग्री भी मौजूद है, ऐसे सरकारी सेवक को कुशल नहीं कहा जा सकता। दक्षता

---

<sup>10</sup> (1999) 1 एससीसी 529

व्यक्तिगत संपत्ति की लकड़ियों का एक बंडल है, जिसमें से सबसे मोटी छड़ी ईमानदारी की है। यदि यह गायब है, तो बंडल बिखर जाएगा। इसलिए, एक सरकारी कर्मचारी को अपनी कमर कसकर रखनी होगी। प्रतिकूल प्रविष्टियों का उद्देश्य मुख्य रूप से एक सरकारी कर्मचारी को अपने तरीके सुधारने और अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए चेतावनी देना है। प्रतिकूल प्रविष्टियों को संसूचित करना आवश्यक है ताकि सरकारी कर्मचारी, जिसे प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, को या तो अपने आचरण को स्पष्ट करने का अवसर मिल सके ताकि यह दिखाया जा सके कि प्रतिकूल प्रविष्टि पूरी तरह से अनावश्यक है, या मामले पर चुपचाप विचार करने का अवसर मिल सके। आश्वस्त हैं कि उनका पिछला आचरण उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इस तरह की प्रविष्टि को उचित ठहराता है।

XX XX XX XX XX XX XX XX XX

समीक्षा समिति के समक्ष कोई सामग्री नहीं थी, यहां तक कि, चरित्र रोल प्रविष्टियों में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी, किसी भी समय सत्यनिष्ठा पर संदेह नहीं किया गया था, प्रतिवादी की पदोन्नति के बाद चरित्र रोल प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं थीं, यह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। यह निष्कर्ष कि प्रतिवादी संदिग्ध निष्ठा वाला व्यक्ति था, न ही कोई अन्य इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता था कि प्रतिवादी अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने के लिए उपयुक्त व्यक्ति था। मामले की परिस्थितियों में, आदेश दंडात्मक था, जिसे सार्वजनिक हित के बजाय प्रतिवादी को तत्काल हटाने के अतिरिक्त उद्देश्य के लिए पारित किया गया था।"

(9) एम.एस. बिंद्रा बनाम भारत संघ<sup>11</sup> में सुप्रीम कोर्ट ने समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द कर दिया और निम्नानुसार ठहराया

"किसी भी सामग्री की चाहत लगभग अगली स्थिति के बराबर है कि उपलब्ध सामग्रियों से कोई भी समझदार मनुष्य ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचेगा। सामग्रियों का मूल्यांकन करते समय प्राधिकारी को उस प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जिसमें अधिकारी हाल तक था। कहावत निमो फ़िरुट रिपेंट टर्पिसिमस (कोई भी अचानक बेईमान नहीं हो जाता) असाधारण नहीं है, लेकिन फिर भी यह मानव आचरण का मूल्यांकन करने के लिए एक हितकारी दिशानिर्देश है, विशेष रूप से प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में। अधिकारियों को उस समग्र अनुमान के प्रति पूरी तरह से आँखें बंद नहीं रखनी चाहिए जिसमें अपराधी अधिकारी को हाल के दिनों में उन लोगों द्वारा पकड़ा गया था जो पहले उसकी देखरेख कर रहे थे। किसी अधिकारी को संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाला मानने के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि संदेह केवल अनुमान तक सीमित हो। वह संदेह इस प्रकार का होना चाहिए कि दी गई सामग्री पर एक उचित व्यक्ति द्वारा उचित और सचेत रूप से मनोरंजन किया जा सके। केवल संभावना मात्र से

---

<sup>11</sup> (1998) 7 एससीसी 310

यह मान लेना शायद ही पर्याप्त होगा कि ऐसा हुआ होगा। उचित व्यक्ति के लिए उस संभावना के संबंध में संदेह उत्पन्न करने के लिए संभाव्यता की प्रधानता होनी चाहिए। तभी पूर्ण संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारी पर गाज गिराने का औचित्य है।"

(10) मैंने इस याचिका के निर्णय की प्रस्तावना उपरोक्त निर्णयों का हवाला देते हुए की है ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि न्यायालय सरकार द्वारा बनाई गई राय को सार्वजनिक रूप से समय से पहले सेवानिवृत्त करने की वांछनीयता को उचित महत्व देगा, लेकिन साथ ही, सुनिश्चित करें कि केवल उन्हीं को सेवा से बाहर किया जाए जो वास्तव में अक्षम या बेईमान हैं और इस शक्ति का दुरुपयोग/दुरुपयोग बाहरी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।

(11) अब कुछ तथ्य -

(12) याचिकाकर्ता 28 जून, 1962 को तत्कालीन पंजाब राज्य में सहायक अधीक्षक, जेल के रूप में सेवा में शामिल हुआ। 1966 में, उसकी सेवाएं नव निर्मित राज्य हरियाणा को आवंटित की गईं। उन्हें 1970 में उप अधीक्षक, जेल और 1985 में अधीक्षक, जेल के रूप में पदोन्नत किया गया था। वह नियम 5.32-ए (सी) के तहत अपनी सेवानिवृत्ति के लिए 9 जून, 1995 (अनुलग्नक पी 10) के आदेश जारी होने तक उस पद पर बने रहे। पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड- II और पंजाब सिविल सेवा नियम के नियम 3.26 (डी), खंड- I, भाग- II 32 साल की सेवा के दौरान, याचिकाकर्ता ने 3 साल और 6 महीने की बहुत अच्छी रिपोर्ट कमाई, 20 अच्छी रिपोर्ट, 2 संतोषजनक और 4 औसत रिपोर्ट। उन्हें वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए प्रतिकूल टिप्पणियों से अवगत कराया गया था, लेकिन, उनके अभ्यावेदन पर, उन्हें राज्य सरकार द्वारा हटा दिया गया था। अपनी समयपूर्व सेवानिवृत्ति से पहले 10 में से आठ वर्षों में, याचिकाकर्ता ने 8 अच्छी रिपोर्ट और एक बहुत अच्छी रिपोर्ट अर्जित की। वर्ष 1991-92 के लिए, उन्हें 2 जुलाई, 1991 से 12 अक्टूबर, 1991 की अवधि में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को छोड़कर, अच्छा अधिकारी के रूप में दर्जा दिया गया था। उन्हें वर्ष 1984 में निंदा के दो छोटे दंड भी भुगतने पड़े थे, जिनमें से एक 10 वार्डरों से सलामी लेने के लिए था। 1 जनवरी, 1993 को उनके निवास पर और उनसे 150 खाली राउंड फायर करने के लिए कहा गया था और दूसरा बिना मुहर के 'बैन' स्वीकार करने के लिए था। 2 जुलाई, 1991 से 12 अक्टूबर, 1991 की अवधि के लिए याचिकाकर्ता को दी गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ इस प्रकार थीं: -

"(1) प्रतिष्ठा के लिए ईमानदारी अच्छी नहीं थी।

(2) पुलिस हड़ताल के दौरान सहयोग नहीं किया।

(3) जनता-औसत से संबंध।

(4) समग्र मूल्यांकन-एक औसत अधिकारी।"



(13) उन्होंने उपरोक्त पुनरुत्पादित टिप्पणियों को हटाने के लिए 10 मई, 1994 को विस्तृत अभ्यावेदन संलग्नक पी4 दिया, जिसमें कहा गया कि इसे प्रतिवादी संख्या 3, श्री गुलाब सिंह सरोत, तत्कालीन उपायुक्त, रोहतक द्वारा बाहरी कारणों से दर्ज किया गया था और किसी गुप्त उद्देश्य से. उनके अभ्यावेदन को राज्य सरकार ने 31 जनवरी, 1995 को एक पंक्ति के संचार द्वारा अस्वीकार कर दिया था, जिसके प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिए गए हैं: -

"उपरोक्त विषय पर अपने दिनांक 10 मई, 1994 के अभ्यावेदन का संदर्भ लें।

(2) आपके द्वारा प्रस्तुत दिनांक 10 मई 1994 के अभ्यावेदन पर शासन द्वारा विचार किया गया है तथा विचारोपरांत आपके अभ्यावेदन पर विचार किया गया है। अस्वीकार कर दिया।"

14) इस बीच, निम्नलिखित आरोप पर याचिकाकर्ता के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1987 के नियम 7 के तहत एक नियमित विभागीय जांच शुरू की गई: "18 सितंबर, 1991 को श्री लाल चंद दलाल, अधीक्षक, जेल ने रजिस्टर नंबर 16 में कटिंग की और वार्डर कपूर सिंह को धमकी देकर झूठा रिकॉर्ड तैयार करवाया, जिसमें उनका हित है।"

(15) याचिकाकर्ता ने आरोप का खंडन करने के लिए विस्तृत उत्तर अनुबंध पी9 दायर किया। इसके बाद, राज्य सरकार ने उनकी सेवानिवृत्ति से लगभग डेढ़ साल पहले उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त करने का आदेश पारित कर दिया।

(16) याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार द्वारा परिपत्र पत्र संख्या 953-3एस-74, दिनांक 1 मई 1975 द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के आधार पर दिनांक 31 मार्च 1994 के पत्र के माध्यम से दी गई प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती दी है। (अनुलग्नक पी3) और सत्ता के मनमाने और दुर्भावनापूर्ण प्रयोग के आधार पर समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश और इस आधार पर भी कि यह प्रकृति में दंडात्मक है।

(17) प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा स्थापित मामला यह है कि याचिकाकर्ता को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का निर्णय अधिकारियों द्वारा लिया गया था। समिति ने उनके रिकॉर्ड के समग्र मूल्यांकन के बाद, जिसमें सत्यनिष्ठा से संबंधित प्रतिकूल टिप्पणियाँ भी शामिल थीं, जो उन्हें दी गई थीं, अनुबंध पी2 के अनुसार। उन्होंने कहा है कि प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन को सरकार ने उचित विचार के बाद खारिज कर दिया था और ऐसा करने के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं था। उन्होंने आगे कहा है कि 23 नवंबर, 1994 के आरोप पत्र के तहत शुरू की गई जांच का उनकी ईमानदारी की प्रतिष्ठा के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियों पर कोई असर नहीं पड़ता है।

(18) उन आधारों पर विचार करने से पहले जिन पर याचिकाकर्ता ने अपनी समयपूर्व सेवानिवृत्ति को चुनौती दी है। मैं कुछ तथ्यों पर ध्यान देना उचित समझता हूँ जो विद्वान वरिष्ठ उप महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यूएलई से सामने आए हैं। ये हैं :-

(ए) 55 वर्ष की आयु से अधिक सेवा में बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर जेल विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी सितंबर, 1994 में पिछले 10 वर्षों में दर्ज की गई प्रविष्टियों की पृष्ठभूमि में, जिसमें तीन महीने और दस दिनों की छोटी अवधि के लिए प्रतिकूल टिप्पणियां और यह आरोप शामिल था कि उन्होंने एक जेल वार्डन को रजिस्टर नंबर 16 में प्रक्षेप करने के लिए मजबूर किया था। जब फाइल को जेल मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उन्होंने 21 सितंबर, 1994 को निम्नलिखित नोट दर्ज किया: - "हाल ही में, मैंने कथित लेनदेन से संबंधित प्रकरण के संबंध में श्री लाल चंद दलाल, अधीक्षक, जेल और श्री हरनाम सिंह, उपाधीक्षक, जेल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित मामला माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अलग से रखा है। 18 सितंबर, 1991 को 20,000 रुपये उक्त दोषी के एक रिश्तेदार श्री कृष्ण लाल द्वारा दोषी जगदीश, पुत्र दलीप सिंह के व्यक्तिगत खाते में जमा करने की मांग की गई। संबंधित रिकॉर्ड और कार्यालय का अध्ययन करने के बाद उस पर की गई टिप्पणियों से पता चला कि कथित लेनदेन को न तो रिश्वत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और न ही उक्त अधीक्षक, जेल की ओर से रिश्वत देने का प्रयास किया जा सकता है। दी गई परिस्थितियों में, श्री दलाल के खिलाफ आरोप की गंभीरता लुप्त हो जाती है और यह केवल साबित अपराध के आधार पर छोटी सजा का एक साधारण मामला बनकर रह जाता है। इन टिप्पणियों के साथ श्री को 55 वर्ष से अधिक सेवा विस्तार का यह मामला। लाल चंद दलाल, अधीक्षक, जेल को सी.एम.जे. माननीय सी.एम. द्वारा प्रस्तावित विचार के लिए अधिकारियों की समिति के समक्ष रखा जा सकता है। कृपया अनुमोदन के लिए देख सकते हैं।"

(बी) जेल मंत्री के नोट को 26 सितंबर, 1994 को मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(सी) इसके बाद, 55 साल से अधिक सेवा विस्तार के लिए याचिकाकर्ता का मामला अधिकारी समिति के सामने रखा गया, जिसने तीन महीने का नोटिस देने के बाद उसकी समयपूर्व सेवानिवृत्ति की सिफारिश की। समिति की सिफारिशों को 17 मई, 1995 को मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया।

(डी) अधिकारी समिति द्वारा लिए गए निर्णय को आगे बढ़ाते हुए, हरियाणा सरकार के वित्तीय आयुक्त और सचिव, जेल विभाग ने विवादित आदेश जारी किया।

(ई) सेवा से उनकी समयपूर्व सेवानिवृत्ति के बाद, राज्य सरकार ने दिनांक ज्ञापन के तहत शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया। 22 नवंबर, 1994 को याचिकाकर्ता पर निंदा का जुर्माना लगाया गया - 26 जुलाई, 1996 के आदेश के तहत, यह देखते हुए कि उसकी सत्यनिष्ठा पर

संदेह करने वाला आरोप साबित नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने यह भी आदेश दिया कि निलंबन की अवधि को ड्यूटी पर बितायी गयी अवधि माना जायेगा।

(एफ) अनुशासनात्मक जांच के परिणाम को ए.सी.आर. में भी शामिल किया गया था। वर्ष 1991-92 के लिए याचिकाकर्ता की।

(जी) इसके बाद, अतिरिक्त महानिदेशक, जेल, हरियाणा द्वारा दिए गए एक संदर्भ पर, पत्र संख्या 8038-जीआई/ए-1, दिनांक 23 अप्रैल, 1997 के माध्यम से, जेल विभाग ने सिफारिश की कि समयपूर्व सेवानिवृत्ति के नोटिस/आदेश को वापस लिया जा सकता है। हालाँकि, सामान्य प्रशासन विभाग जेल विभाग से इस आधार पर असहमत था कि याचिकाकर्ता की समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। तत्कालीन मुख्य सचिव, हरियाणा सामान्य प्रशासन विभाग से सहमत थे और मामले को ध्यान में रखते हुए, जेल के अतिरिक्त महानिदेशक के नोट पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं की गई।

(19) श्री अरुण जैन ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश को अवैध घोषित किया जा सकता है और रद्द किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता के रिकॉर्ड को देखने के बाद कोई भी उचित व्यक्ति यह राय नहीं बना सकता है कि उसकी सार्वजनिक सेवा के लिए उपयोगिता समाप्त हो गई है या उसकी सेवा जारी रहेगी। सेवा जनहित में नहीं होगी | उन्होंने आगे तर्क दिया कि अधिकारी समिति द्वारा की गई सिफारिश मनमानी से दूषित थी, यहां तक कि समिति ने अच्छी रिपोर्टों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और अपनी राय पूरी तरह से प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा तीन महीने और दस दिन की अवधि के थोड़े समय के लिए दर्ज की गई निराधार प्रतिकूल टिप्पणियों पर आधारित थी। श्री जैन ने भी विरोध दर्ज की प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा तीन महीने और दस दिनों की छोटी अवधि के लिए प्रतिकूल टिप्पणियाँ यह तर्क देकर दर्ज की गई कि ये याचिकाकर्ता के खिलाफ उक्त प्रतिवादी द्वारा अपनाए गए प्रतिशोधी रवैये का अंतिम उत्पाद थे। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 3 याचिकाकर्ता से नाराज था क्योंकि उसने आंदोलनकारी पुलिस कर्मचारियों को फंसाने के लिए उसके द्वारा दिए गए गैरकानूनी आदेश को मानने से इनकार कर दिया था और जेल मैनुअल और भारतीय जेल अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुपालन पर जोर दिया था। श्री जैन ने अफसोस जताया कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दर्ज की गई मनमानी और मनमौजी टिप्पणियों के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा किए गए विस्तृत अभ्यावेदन को राज्य सरकार ने बिना कोई कारण बताए सरसरी तौर पर खारिज कर दिया, जो कि विवेक का प्रयोग दर्शाता हो सकता है। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि विवादित आदेश को दंडात्मक घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह विभागीय जांच की पृष्ठभूमि में अधिकारी समिति द्वारा लिए गए निर्णय - ज्ञापन दिनांक 22 नवंबर, 1994 पर आधारित है।

(20) विद्वान वरिष्ठ उप महाधिवक्ता श्री जसवन्त सिंह ने स्पष्ट एवं निष्पक्षता से कहा कि अधिकांश ए.सी.आर. में दर्ज प्रविष्टियाँ सही नहीं हैं। याचिकाकर्ता अपने काम और प्रदर्शन के बारे में अच्छा

बोलता है और तीन महीने और दस दिनों की छोटी अवधि को छोड़कर उसकी ईमानदारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने स्वीकार किया कि वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए दर्ज की गई प्रतिकूल प्रविष्टियाँ राज्य सरकार द्वारा हटा दी गई थीं। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि अपनी समयपूर्व सेवानिवृत्ति से पहले के दस वर्षों में, याचिकाकर्ता ने 8 अच्छी रिपोर्ट अर्जित की थीं, एक बहुत अच्छी और वर्ष 1991-92 से संबंधित शेष रिपोर्ट काफी हद तक अच्छी थी, प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को छोड़कर 2 जुलाई, 1991 से 12 अक्टूबर, 1991 तक की अवधि। हालांकि, उन्होंने प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने को यह तर्क देकर उचित ठहराया कि सरकार को ऐसा करने के लिए कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने आधे-अधूरे मन से यह तर्क देकर याचिकाकर्ता की समय से पहले सेवानिवृत्ति को सही ठहराने की कोशिश की कि अधिकारी समिति याचिकाकर्ता की प्रतिकूल प्रविष्टियों पर कार्रवाई करने की हकदार थी।

(21) मैंने संबंधित तर्कों पर गंभीरता से विचार किया है। मेरी राय में, याचिकाकर्ता की समय से पहले सेवानिवृत्ति अमान्य होने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड- II के नियम 5.32-ए (सी) और नियम 3.26 (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग किया गया है। पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड-I, भाग-I है लाल चंद दलाल बनाम. हरियाणा राज्य एवं अन्य (जी.एस. सिंघवी जे.) 499 मनमानेपन और दिमाग का पूर्ण उपयोग न करने से दूषित। यह एक निर्विवाद स्थिति है कि सेवा से सेवानिवृत्त होने से पहले के दस वर्षों में, याचिकाकर्ता ने हल्की अच्छी रिपोर्ट अर्जित की थी और बहुत अच्छी रिपोर्ट पर शेष वर्ष यानी 1991-92 में भी तीन महीने और दस दिन की छोटी अवधि को छोड़कर उन्होंने अच्छी रिपोर्ट अर्जित की थी। याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा पर संदेह जताते हुए प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियां मुख्य रूप से रुपये जमा करने के मामले में कैदियों में से एक के रिश्तेदार द्वारा की गई शिकायत पर आधारित थीं। 20,000 पी.एफ. कैदी का हिसाब. हरियाणा के अतिरिक्त जेल महानिदेशक द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में याचिकाकर्ता को आरोप में दोषी नहीं पाया गया। उनके खिलाफ केवल यह पाया गया कि उन्होंने वार्डर पर रजिस्टर नंबर 16 में सुधार करने के लिए दबाव डाला था। 21 सितंबर, 1994 के अपने नोट में तत्कालीन जेल मंत्री ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाया गया आरोप सरल था और केवल मामूली सजा थी। वारंट किया गया था. इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच के परिणामस्वरूप निंदा का सबसे हल्का जुर्माना लगाया गया और वह भी उसकी सेवानिवृत्ति के बाद। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील से सहमत हूँ कि याचिकाकर्ता की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रविष्टि पूरी तरह से निराधार और अनुचित थी और सरकार ने उसके अभ्यावेदन को अस्वीकार करके एक गंभीर अवैधता की है। इस संदर्भ में, यह देखना उचित है कि कर्मचारी एक दिन या कुछ दिनों या महीने में अच्छी या बुरी प्रतिष्ठा अर्जित नहीं करता है। ईमानदारी (अच्छी या बुरी) की प्रतिष्ठा लंबे समय तक कर्तव्यों का पालन करने के बाद अर्जित की जाती है और जिस कर्मचारी को 10 वर्षों तक ईमानदार और कुशल माना जाता है, वह कभी

भी अधिक बेईमान नहीं हो सकता इसलिए, किसी कर्मचारी की ईमानदारी पर संदेह करने वाली प्रविष्टि दर्ज करने से पहले, नियोक्ता/संबंधित अधिकारी को उसके सामने उपलब्ध सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और ऐसी प्रविष्टि तभी दर्ज करनी चाहिए जब वह किसी भी तरह के संदेह से परे आश्वस्त हो कि एक अन्यथा ईमानदार कर्मचारी अचानक बन गया है। बेईमान. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष ऐसी कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं थी जो याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा पर अभद्र टिप्पणी को उचित ठहरा सके। इस न्यायालय के समक्ष भी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गयी है। विद्वान वरिष्ठ उप महाधिवक्ता द्वारा उक्त टिप्पणी को उचित ठहराने के लिए। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के लिए सरकार द्वारा दर्ज किए गए कारण, यदि कोई हों, भी मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसलिए, इस निष्कर्ष से बचना संभव नहीं है आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा. 500 2003 प्रतिवादी नंबर 3 ने बिना किसी सामग्री के याचिकाकर्ता के पूर्णांक से संबंधित प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज की थीं और राज्य सरकार ने उनके अभ्यावेदन को खारिज करके गंभीर अवैधता की थी। किसी भी मामले में, जहां तक उसकी सत्यनिष्ठा पर संदेह करने वाले आरोप का सवाल है, विभागीय जांच में उसे दोषमुक्त किए जाने के कारण याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा से संबंधित प्रतिकूल टिप्पणियों को खारिज कर दिया गया माना जाएगा। पुलिस हड़ताल के दौरान असहयोग के संबंध में एसईएस की टिप्पणी पूरी तरह से निराधार और अनुचित बताई जा सकती है, क्योंकि उत्तरदाताओं द्वारा इसकी पुष्टि के लिए एक भी उदाहरण का हवाला नहीं दिया गया है। अपने अभ्यावेदन में, याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से बताया था कि उसने जेल मैनुअल, भारतीय कैदी अधिनियम, 1894 और विभागीय निर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन पर जोर दिया था, इससे प्रतिवादी नंबर 3 नाराज हो गया होगा, जो चाहता था कि हड़ताली पुलिस कर्मचारी सख्ती से निपटा गया और यही झुंझलाहट उन्हें ए.सी.आर. में प्रतिकूल टिप्पणियों के रूप में मिली। याचिकाकर्ता का, जो मेरी राय में, किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। समग्र मूल्यांकन के कॉलम में प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता को एक औसत अधिकारी बताया है। यह टिप्पणी अपने आप में ईमानदारी और असहयोग की प्रतिष्ठा के बारे में अन्य दो प्रतिकूल टिप्पणियों को नकारने के लिए पर्याप्त है।

(22) मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील से भी सहमत हूँ कि प्रतिवादी एम 3 द्वारा दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियां याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके द्वारा किए गए पूर्वाग्रह का अंतिम उत्पाद थीं। उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए श्रेणीबद्ध दावे का खंडन नहीं किया है कि प्रतिवादी नंबर 3 जेल मनु कैदी अधिनियम और विभागीय निर्देशों के अनुपालन पर उनके आग्रह के कारण बहुत नाराज था। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी नंबर 3 ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अपनी ए.सी.आर. दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के रूप में अपनी झुंझलाहट को दर्शाया था।

(23) उपरोक्त चर्चा के आधार पर, मेरा मानना है कि अधिकारी समिति के समक्ष यह राय बनाने के लिए कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं थी कि याचिकाकर्ता का 55 वर्ष से अधिक सेवा में बने रहना

सार्वजनिक हित में नहीं था या उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई थी ताकि न्याय किया जा सके।  
सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले उनकी सेवानिवृत्ति।

(24) उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए। मैं अन्य मुद्दे से निपटना जरूरी नहीं समझता, यानी कि क्या याचिकाकर्ता की समय से पहले सेवानिवृत्ति प्रकृति में दंडात्मक थी।

(25) ऊपर उल्लिखित कारणों से, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। 9 जून 1995 का आदेश अवैध घोषित कर निरस्त किया जाता है। याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभ मिलेंगे। उसे रुपये की लागत भी मिलेगी। जिसमें से 10,000 रु. 5,000 का भुगतान प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार प्रतिवादी संख्या 3 को उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली लागत की प्रतिपूर्ति नहीं करेगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

चाहत

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा